न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 142/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 28.12.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/403

हीरासिंह पुत्र श्री जफरू, उम्र—वयरक, जाति मेरात, निवारी कोलपुरा बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. वादी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र श्री मादा, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा तहसील रायपुर,
2. गौरी पुत्री श्री मादा, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा तहसील रायपुर,
3. जरीना पत्नि श्री कालुसिंह, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा तहसील रायपुर,
4. पिंटुसिंह पुत्र श्री मादा श्री मादा, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा
5. सकीना पत्नि श्री मादा, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा तहसील रायपुर,
6. धापु पुत्री श्री अमरा, उम्र—वयस्क, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा तहसील रायपुर,
7. फैजल काठात पुत्र श्री कालुसिंह, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा
8. फीजा बानु पुत्री श्री कालुसिंह, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा
9. राहुल काठात पुत्र श्री कालुसिंह, उम्र—वयरक, जाति मेहरात निवारी कोलपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
10. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर जिला पाली राज. प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः **16.04.2025**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 133 खसरा सं. 2700 रक्बा 1.1574 हैक्टेयर, भुमि प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 6 के नाम शामलाती खातेदारी कृषि भुमि आई हुई है। जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 6 के शामलाती 1/4 हिस्सा बनता है।उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा सवत् 2076—2079 की जमाबंदी, प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 के पिता/पति/दादा/ससुर माधा पुत्र श्री अमरा व प्रतिवादी सं. 6 के द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बेचाननामा की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भुमि आई हुई है। उक्त भुमि सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 133 खसरा सं. 2700 रक्बा 1.1574 हैक्टेयर, मे प्रतिवादीगण व अन्य खातेदारों की शामालती खातेदारी भुमि आई हुई हैं। जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 9 के शामलाती 1/4 हिस्सा बनाता है। जो प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 व 7 से 9 के पिता/पति/दादा/ससुर माधा पुत्र श्री अमरा व प्रतिवादी सं. 6 के द्वारा उनको रूप्यो कि आवश्यकता होने से उक्त भुमि का बेचान मुझ वादी को जरिये रजिस्ट्री दिंनाक 18/07/2001 को बेचान कर दिया जो उपपंजीयन कार्यालय रायपुर के यहां पुस्तक सं. 1 के जिल्द सं. 97 मे पृष्ट सं. 149 क्रम सं. 622 पर पंजीबद्व है जिसकी फौटो प्रति संलग्न है। वादी ने पजीकृत दस्तावेज बेचाननामा की एक फोटो प्रतिलिपि तत्कलीन पटवारी महोदय को दी एवं यह सद्विश्वास में रहे की पटवारी महोदय ने उस बेचान नामा का नामान्तरण भर दिया होगा। एवं वादी ने अपने काम काज मे वयस्त रहने से कभी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन नही किया। जिस कारण उसे यह ज्ञात हो की उसके बेचाननामा का

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नामान्तरण नहीं हुआ है। जबकि खरीद दिनाक से आज तक वादी का ही कब्जा काश्त है। तथा बेचानकर्ता माधा पुत्र श्री अमरा का देहान्त हो गया एवं उनके परिवारजन ने विवादित खाते के अन्य खाता ओर होने से उसमे उनका फौतेदगी नामान्तरण भरवाने हेतु दस्तावेज दिये जिस पर हल्का पटवारी द्वारा विवादित भुमि मे नामान्तरण सं. 506 भरा एवं माधा पुत्र श्री अमरा के स्थान पर उनके विधिक वारिशानों प्रतिवादी सं. 1,2,4,5 एवं कालुसिंह के नाम दर्ज हो गये। एवं नामान्तरण सं. 595 कालुसिह के विधिक वारिशानों प्रतिवादी सं. 3,7,8,9 के नाम भरा गया वर्तमान मे वादी ने दिनाक 27/11/2023 को भारत सरकार से मिलने वाली 6,000/– प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लेने कि आवश्यकता होने पर ईमित्र से जमाबन्दी निकलवाई तब वादी का नाम दर्ज नही होने पर वो हल्का पटवारी के पास गया एवं हल्का पटवारी के द्वारा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान जमाबन्दी मे वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी ने जमाबन्दी की नकल एवं पंजीकृत दस्तावेज लेकर वर्तमान पटवारी महोदय के पास जाने पर हल्का पटवारी ने बेचाननामा मे बेचानकर्ता एवं वर्तमान जमाबन्दी मे खोतदार मे परिवर्तन होने से वादी के नाम नामान्तरण भरने से मना कर दिया एवं उक्त रजिस्ट्री के नामान्तरण करवाने हेतु न्यायलय मे वाद कर आदेश करवाकर लाने की सलाह दी। जिस कारण उक्त वाद **बमुकाम कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा, तहसील–रायपुर**, जिला–ब्यावर में पैदा होता है, जो अदालत वाला के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। इसलिये पजीकृत दस्तावेज का नामान्तरण करवाने हेतु श्री मान के सम्मुख वाद करने की आवश्यता उत्पन्न हुई। वादी के द्वारा खरीद भुमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, इसलिये यह वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी अपने हक हिस्से पर मोके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करती आ रही है, तथा वादी ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया जाता है तो वादी को बैंक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भुमि के फायदे नहीं हो पायेगे जिससें वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादी के पास न्यायलय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद राजस्व रेकर्ड में पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाकर अपने नाम की वादग्रस्त भुमि मे खातेदार की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा हैं। डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद के पद संख्या–1 में वर्णित सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 133 खसरा सं. 2700 रक्बा 1.1574 हैक्टेयर, भुमि प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 9 के नाम शामलाती खातेदारी कृषि भुमि आई हुई है। जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 9 के शामलाती 1/4 हिस्सा बनता है। जो प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 से लगायत 9 के पिता/पति/दादा/ससुर माधा पुत्र श्री अमरा व प्रतिवादी सं. 6 के द्वारा उनको रूप्यो कि आवश्यकता होने से उक्त भुमि का बेचान मुझ वादी को जरिये रजिस्ट्री दिंनाक 18/07/2001 को बेचान कर दिया जो उपपंजीयन कार्यालय रायपुर के यहां पुस्तक सं. 1 के जिल्द सं. 97 मे पृष्ट सं. 149 क्रम सं. 622 पर पंजीबद्व है वादी को करने से बेचान नामा के अनुसार विवादित भुमि मे प्रतिवादी के स्थान पर वादी को वियादित भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। वादी को राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी सं. 10 को आदेशित किया जावे कि वो वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करे। वियादित भुमि मे वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे परेशानी नही करे। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो वादग्रस्त आराजी मे वादी के काबिज हिस्से मे दखलंदाजी प्रतिवादीगण स्वयं, नोकर चाकर, हाली, एजैन्ट ना करें। ना ही कराये।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। पत्रावली में वादपत्र पर वादी द्वारा पेश मुख्य साक्ष्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं वादी ने अपने साक्ष्य के संबंध में बयान कलमबद्ध कर पत्रावली संलग्न किये गये हैं एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये। वादी ने गवाह का शपथ पत्र पेश किया हैं जों संलग्न पत्रावली किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि ने बताया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 व 7 से 9 के पिता/पति/दादा/ससुर माधा पुत्र श्री अमरा व प्रतिवादी सं. 6 के द्वारा वादी के पक्ष में बेचान किया हैं बेचाननामा का नामान्तरण नहीं हुआ है। जबकि खरीद दिंनाक से आज तक वादी का ही कब्जा काश्त है। तथा बेचानकर्ता माधा पुत्र श्री अमरा का देहान्त हो गया एवं उनके परिवारजन ने विवादित खाते के अन्य खाता ओर होने से उसमे उनका फौतेदगी नामान्तरण भरवाने हेतु दस्तावेज दिये जिस पर हल्का पटवारी द्वारा विवादित भुमि मे नामान्तरण सं. 506 भरा एवं माधा पुत्र श्री अमरा के स्थान पर उनके विधिक वारिशानों प्रतिवादी सं. 1,2,4,5 एवं कालुसिंह के नाम दर्ज हो गयै। एवं नामान्तरण सं. 595 कालुसिह के विधिक वारिशानों प्रतिवादी सं. 3,7,8,9 के नाम भरा गया अतः वादग्रस्त आराजी में बेचाननामा के आधार पर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाने एवं उक्त बेचाननामा को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस समायत की गई।

बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 133 खसरा सं. 2700 रकबा 1.1574 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं साथ ही उक्त संबंध में बेचान किये पंजीयन दस्तावेज को प्रभावशून्य घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 133 खसरा सं. 2700 रकबा 1.1574 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही उक्त संबंध में बेचान किये पंजीयन दस्तावेज को प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर के साथ प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

हीरासिंह पुत्र श्री जफरू, उम्र–वयस्क, जाति मेरात, निवासी कोलपुरा बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. **वादी**

बनाम

1. गोविन्द पुत्र श्री मादा, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा तहसील रायपुर,
2. गौरी पुत्री श्री मादा, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा तहसील रायपुर,
3. जरीना पत्नि श्री कालुसिंह, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा तहसील रायपुर,
4. पिंटुसिंह पुत्र श्री मादा श्री मादा, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा
5. सकीना पत्नि श्री मादा, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा तहसील रायपुर,
6. धापु पुत्री श्री अमरा, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा तहसील रायपुर,
7. फैजल काठात पुत्र श्री कालुसिंह, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा
8. फीजा बानु पुत्री श्री कालुसिंह, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा
9. राहुल काठात पुत्र श्री कालुसिंह, उम्र–वयस्क, जाति मेहरात निवासी कोलपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
10. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर जिला पाली राज. **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 133 खसरा सं. 2700 रकबा 1.1574 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही उक्त संबंध में बेचान किये पंजीयन दस्तावेज को प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें।

नीज......................×................मुबलिक...............×.............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×...............फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×..........................को अदा करे।

वसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.04.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	2	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान			
मीजान		12	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।